

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-13/2014/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 16-12-2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- व्यक्तिगत निक्षेप खातों में राशि जमा की जा सकने वाली राशि संबंधी निर्देश ।

संदर्भ- वित्त विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 23-7-2014 एवं दिनांक 14-7-2015.


—•—

यह देखने में आया है कि कोषालय में संचालित व्यक्तिगत निक्षेप खातों में संबंधित खाताधारक द्वारा ऐसी मदों की राशि भी आहरित कर व्यक्तिगत विशेष खातों में जमा की जा रही है जो कि उद्देश्य विशेष के लिए खोले गए व्यक्तिगत निक्षेप खातों से पृथक हैं ।

2/ विभागों द्वारा की जा रही उपर्युक्त कार्यवाही सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । अतः कोषालयों के माध्यम से संचालित व्यक्तिगत निक्षेप खातों से लेन देन के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. इन खातों का केवल उन्हीं बजट लाईनों / उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सकता है जिनके विवरण इन खातों को खोलने के स्वीकृति आदेश में अभिलिखित होंगे ।
2. इन खातों का एक से अधिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, किन्तु इसके लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्यतः आवश्यक होगी ।
3. यदि पूर्व से खोले गए किसी व्यक्तिगत निक्षेप खाते में नवीन राशि जमा की जाना है तो उसकी भी वित्त विभाग से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(उपेन्द्र शर्मा)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग